

वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए रु.3 लाख तक के ऋण हेतु, प्रति वर्ष 7% की दर पर महिला एसएचजी को दिये गए ऋण पर व्याज सबवेंशन हेतु दावा

बैंक का नाम :

वित्त वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए लागू डब्लूएआईसी :

\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ की अवधि के लिए दावों हेतु विवरणी : रु.3 लाख तक के संवितरित / बकाया ऋण

..... से .....		(..... तक बकाया (पिछली अवधि की समाप्ति तक)		..... तक कुल बकाया		व्याज सबवेंशन की राशि
खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	राशि

हम प्रमाणित करते हैं वर्ष \_\_\_\_\_ में उक्त संवितरण / बकाया पर महिला एसएचजी को दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर प्रति वर्ष 7% की दर पर व्याज प्रभारित किया गया था। हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दावों की राशि और खाते केवल श्रेणी-1 जिलों से हैं और दावा किए गए सभी खाते आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्याज सबवेंशन हेतु पात्र हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि शाखा स्तर से नियमित दावा या अतिरिक्त व्याज सबवेंशन दावा प्रस्तुत करते समय दावों में कोई दोहराव नहीं किया गया है तथा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप सुनिश्चित किया गया है।

दिनांक

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
(मुहर)

सांविधिक लेखा परीक्षक  
(मुहर एवं एफआरएन सं.)

(यह दावा प्रारूप, पूरे वर्ष के लिए समेकित, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून के भीतर 31 मार्च \_\_\_\_\_ को समाप्त होने वाले तिमाही के दावों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)